न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/2884/2004/झुंझुनू

1- बालाराम पुत्र चन्दगीराम,
2- रणवीर पुत्र बालाराम,
3- महेन्द्र पुत्र बालाराम,
4- धूमसिह पुत्र बालाराम,
5- सुरेन्द्र पुत्र बालाराम समस्त जाति जाटान, निवासीगण कुलोठकलां, तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

------ प्रतिवादी/अपीलांट्स

बनाम

1- गिनाराम पुत्र धीराराम,
2- दरियासिंह पुत्र धीराराम,
3- ओंकारसिंह पुत्र धीराराम,
4- मीरसिंह पुत्र धीराराम समस्त जाति जाटान, निवासीगण कुलोठकलां, तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

----- वादीगण/रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री राजेश्वर सिंह, अध्यक्ष
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक अपीलांट्स।
(2) श्री हंगामी लाल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट।

निर्णय दिनांक :- 05.09.2023

यह अपील अन्तर्गत धारा 224, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनू द्वारा अपील संख्या 10/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 07-07-2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपील डिक्री/टीए/2884/2004/झुंझुनू
बालाराम बनाम गिनाराम

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा के समक्ष एक वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 463/1 रकबा 0-53 है0 की खातेदारी की उद्घोषणा चाही। इस संबंध में इस पारिवारिक विभाजन एवं अनुबंध पत्र प्रस्तुत कर डिक्री प्राप्त कर ली जिसकी प्रथम अपील विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर में प्रस्तुत होने पर आंशिक स्वीकार कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया, जिसे विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर पुनः पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वादी का वाद डिक्री किया गया जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर उन्होंने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07-07-2004 से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30-12-2003 यथावत् रखा गया। इसी निर्णय व डिक्री दिनांक 07-07-2003 से व्यथित होकर अपीलांट्स की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3- अपील पर उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4- अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए बहस में कथन किया कि विद्वान दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय विरूद्ध न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। वादी/रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणा, खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा आदेश 6 नियम 2 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसार नहीं होने एवं भ्रमात्मक होने से काबिल डिक्री किये जाने योग्य नहीं होते हुए भी वाद विरूद्ध अपीलांट डिक्री कर अपनी अधिकारिता का दुरूपयोग किया है। हस्तगत प्रकरण में विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा कुल 10 तनकियात कायम की गई। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने वादीगण/रेस्पो. का वाद नकल अनुबंध पत्र प्रदर्श-2 के आधार पर डिक्री किया किन्तु वादीगण/रेस्पो0 ने अपने वाद के कथनों में न तो इस अनुबंध का जिक्र किया न उन्होंने तनकी बनाकर सिद्ध किया

जिसके अभाव में वाद वादीगण/रेस्पो0 डिक्री नहीं किया जा सकता था। कुल 10 तनकी में से तनकी नं0 1 से 4 को सिद्ध करने का भर वादीगण पर था तथा शेष तनकियात को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण/अपीलांट पर था, जिन तनकियात को सिद्ध करने का भार वादीगण पर रखा वह सभी तनकियात वादीगण का वाद डिक्री किये जाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। तनकी सं0 3 प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम मियाद बाहर व चलने योग्य नहीं बाबत् थी। वादीगण/रेस्पो0 घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लेकर आये थे। घोषणा खातेदारी की डिक्री वादीगण/रेस्पो0 के पक्ष में जारी नहीं की जिसके अभाव में अपीलांट के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती थी। तनकी नं0 1 व 2 तथा तनकी नं0 5 को निर्णय विद्वान परीक्षण न्यायालय ने एक साथ किया है जबकि तनकी सं0 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। तनकी नं0 1 व 2 के साथ तनकी सं0 5 निर्णित नहीं की जा सकती थी। तनकी नं0 5 वाद प्रस्तुत किये जाने के कॉज ऑफ एक्शन पर थी। वादीगण द्वारा अपने वाद में कोई कॉज ऑफ एकशन नहीं दर्शाये जाने से प्रतिवादीगण के जवाब दावा व प्रतिवादी के आधार पर कायम की थी। इस प्रकार विद्वान परीक्षण न्यायालय ने इन तीनों तनकियों को अति सूक्ष्म ढंग से निर्णित कर अपने अधिकारिता का दुरूपयोग किया है।तनकी नं. 4 रेस्पोडेन्ट के किस कथन या अभिवचन के आधार पर कायम की गई। प्रतिवादी/अपीलांट ने इस तनकी में वर्णित दस्तावेजात अनुबंध दिनांक 10-04-1992 व शपथपत्र दिनांक 03-03-1992 को कभी स्वीकार नहीं किया और तनकी सं0 4 के आधार पर प्रतिवादीगण/अपीलांट का प्रतिवादी खारिज नहीं किया जा सकता था। प्लीडिंग से बाहर जाकर तनकी कायम करने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को नहीं था। काउन्टर क्लेम को निर्णित किये जाने की प्रक्रिया जो वाद को निर्णित किये जाने की है, वही प्रक्रिया काउन्टर क्लेम को निर्णित किये जाने के लिए अपनायी जानी चाहिए थी। अनुबंध दिनांक 10-04-1992 की वैद्यता को यदि देखा जाय तो इस अनुबंध के आधार पर राजस्थान टिनेन्सी राजस्व मण्डल नियमावली के नियम 21 की पालना नहीं की गई और न ही अंतिम रूप से डिक्री पारित की गई है। अनुबंध में वादीगण/रेस्पो0 ने खसरा नं0 463 के विभिन्न खसरा

नंबरान कायम कर सम्पूर्ण खसरा नंबर को विभक्त कर खातेदार स्वयं को घोषित नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अनुबंध दिनांक 10-04-1992 का जब तक पंजीयन न हो तब तक साक्ष्य में नहीं देखा जा सकता है तथा न ही धारा 2 (2) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत डिक्री ही मानी जा सकती है। विद्वान परीक्षण न्यायालय का निर्णय आदेश 22 नियम 4(2) के अनुसार नहीं है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनू के निर्णय व डिक्री दिनांक 07-07-2004 एवं विद्वान उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा के निर्णय व डिक्री दिनांक 30-12-2003 को निरस्त किया जाकर वाद वादीगण/रेस्पोडेन्ट खारिज फरमाने का निवेदन किया गया।

5- प्रत्युत्तर में योग्य अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपीलांट्स के कथनों का विरोध करते हुए तर्क दिये कि विद्वान परीक्षण न्यायालय में दावा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का था जो रेस्पोडेन्ट के पक्ष में डिक्री हुआ है तथा विद्वान अपीलीय न्यायालय ने भी अपीलांट्स की अपील खारिज कर विद्वान परीक्षण न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया गया।

6- हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का आद्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया गया।

7- विद्वान परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30-12-2003 से वादीगण का वाद डिक्री किया गया है।

8- विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुंझुनू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 07-07-2004 से अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30-12-2003 को यथावत् रखा गया है।

9- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा ने अपने निर्णय दिनांक 30-12-2003 में अंकित किया है कि ग्राम कुलोठकलां की भूमि खसरा

नं0 463/1 रकबा 0.53 है0 वादीगण के खातेदारी की भूमि है जो प्रदर्श–2 (उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रमाणित अनुबंध दिनांक 10–04–1992) शपथ पत्र दिनांक 03–03–1992 (प्रदर्श–4) जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 (प्रदर्श–6) स्पष्टतः प्रमाणित है। अनुबंध (प्रदर्श–2) ग्राम सरपंच व उपसरपंच तथा व्यक्तियों को साक्ष्य में प्रमाणित करवाया गया था जिसके लिए आवेदन शपथपत्र पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा किया गया था। उक्त समस्त दस्तावेजों पर बालाराम ने सहमति के हस्ताक्षर किये थे। अतः वह अपनी सहमति से एस्टोप्ड है तथा उसके विरूद्ध नहीं जा सकता। लिहाजा तनकी नं0 1 वादीगण के पक्ष में प्रमाणित होने के कारण उनके पक्ष में निर्णित की जाती है। अगर विवादग्रस्त आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा भी है तो वह अवैध है तथा नियम विरूद्ध है। वादपत्र के अभिवचनों व साक्ष्यों गवाहों के आधार पर यह साबित होता है कि प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि वे खसरा नं0 463/1 में काश्त की भूमि से फसल नहीं काटने देगें अतः तनकी नं0 2 भी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है। साथ ही तनकी सं0 5 प्रतिवादीगण साबित करने में विफल रहे। अतः यह तनकी उनके विरूद्ध निर्णित की जाती है।

आवेदन पत्र दिनांक 03–03–1992 व शपथपत्र 03–03–1992 (प्रदर्श–4) तथा अनुबंध दिनांक 10–04–1992 (प्रदर्श–2) सभी पर प्रतिवादी सं0 1 बालाराम की सहमति के हस्ताक्षर है। अनुबंध दिनांक 10–04–1992 को उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया है। विबन्ध के सिद्धांत के अुनसार बालाराम अब अपनी सहमति से मुकर नहीं सकता तथा न ही उसके वारिस (प्रतिवादीगण सं0 3 ल0 5) ऐसा कर सकते। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 115 एस्टोपल लिखित प्रार्थना पत्र में उल्लेखित है कि –

"When a person by his declaration, act or omission, intontioncly caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he or his represantation shall be allowed in any suit or procceding between himself and such person or his represantion to along the truth of that thing."

अपील डिक्री/टीए/2884/2004/झुंझुनू
बालाराम बनाम गिनाराम

अतः दिनांक 03-03-1992 के शपथ पत्र व अनुबंध से स्वयं स्वयं बालाराम (प्रतिवादी सं0 1) व उसके पुत्र (प्रतिवादी सं0 2 ल0 5) इंकार नहीं कर सकते हैं। लिहाजा तनकी नं0 4 वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है जिससे प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार्य नहीं है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अनुबंध दिनांक 10-04-1992 पक्षकारान की उपस्थिति व सहमति से उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू द्वारा तस्दीक किया गया था। अतः तनकी सं0 6 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। तनकी सं0 4 व 6 के निर्णय से प्रमाणित होता है कि अनुबंध दिनांक 10-04-92 विधिसम्मत् तस्दीक किया गया था। अतः अनुबंध बंध है तथा उक्त अनुबंध के आधार पर पारित डिक्री सही है। अतः तनकी नं0 10 भी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। तनकी सं0 3 व 8 का निर्णय किये जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तनकी सं0 4 के निर्णय के पश्चात् उनके निर्णय का महत्व गौण है।

जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 (प्रदर्श-6) से जाहिर है कि विवादग्रस्त भूमि खसरा नं0 463/1 रकबा 0-53 है0 वाके ग्राम कुलोठकलां भूमि के गिनाराम, दरियासिंह, औंकारसिंह, मीरसिंह है जो समस्त वादीगण है। इसके अलावा वादीगण को जिनसे अनुतोष चाहिए था उन्हें प्रतिवादीगण बनाया गया है। अतः अन्तरसिंह, श्योनारायण पुत्र चन्दगीराम, हुक्मी, ईश्वर पुत्र मालाराम आवश्यक पक्षकार इस वाद के नहीं हैं। अतः तनकी सं0 7 वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2051-2054 ग्राम कुलोठकलां (प्रदर्श-6) से जाहिर है कि खसरा नं0 463 सम्पूर्ण प्रतिवादी सं0 1 बालाराम के हिस्से में नहीं दिया गया बल्कि बालाराम के हिस्से में खसरा नं0 463/2 रकबा 1-77 है0 आया था तथा शेष वादीगण के हिस्से में खसरा नं0 463/1 रकबा 9-53 है0 आया है जिसकी प्रदर्श-2 से भी पुष्टि हाती है। अतः तनकी सं0 9 भी प्रतिवादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा ने निर्णय में अंकित किया है कि प्रतिवादीगण को इस कदर स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम कुलोठकलां में स्थित भूमि खसरा नं0

463/1 रकबा 0-63 है0 में वादीगण के कब्जे काश्त अधिभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित न करें।

10- विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सीकर कैम्प झुन्झुनू ने अपने निर्णय दिनांक 07-07-2004 में अंकित किया है कि विवादित आराजीयात में मुख्यतः अनुबंध पत्र होने को लेकर विवाद है। अनुबंध पत्र प्रदर्श-2 है। यह अनुबंध पत्र उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू के समक्ष पेश किया गया है जिसमें सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर तथा विधिवत् विभाजन किया गया है। यह राजस्व अभियान के कैम्प में बंटवारा किया है। पत्रावली में उपलब्ध पारिवारिक समझौता जो प्रदर्श-7 है इसके अनुसार विवादित आराजी ख.नं. 463/1 रकबा 0.53 है. की खातेदारी वाके ग्राम कुलोठकलां तहसील चिड़ावा गिनाराम, दरियासिंह, ओंकारसिंह, मीर सिंह के नाम आना स्वीकार किया गया है तथा उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा जारी अनुबंध पत्र दिनांक 10-04-1992 के आदेश की पालना में भूमि का विभाजन स्वीकार कर लिया है जो सभी पक्षकारों को स्वीकार है।

जमाबंदी संवत् 2051 से 2054 में वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। वादीगण का नाम उक्त आराजी जमाबंदी के अनुसार तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा अनुबंध पत्र व शपथ पत्र के अनुसार खातेदारी साबित है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित कर गया है। कैम्प में जारी शपथ पत्र तथा बंटवारेनामे पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर है अतः अपनी सहमति से अपीलांट पाबंद है। जहां तक कब्जे का प्रश्न है विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है और यदि है तो वह नियम विरूद्ध है क्योंकि साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध होता है कि विवादित आराजी खसरा नं0. 463/1 पर रेस्पो- काबिज है।

अपीलांट का यह कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उनके रिमाण्ड में दिए गये निर्देशों की अनुपालना नहीं की है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय दिया है तथा पारिवारिक समझौते व उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी अनुबंध पत्र को आधार बनाया है। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की विधि और तथ्य की भूल अधीनस्थ न्यायालय द्वारा करना नहीं पाया जाता है।

ऐसी स्थिति में काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य नहीं होने से उस पर निर्णय नहीं दिया गया है लेकिन स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में पेश अपीलांट के काउन्टर क्लेम का अवलोकन किया लेकिन पारिवारिक समझौते व अनुबंध पत्र के होते हुए काउन्टर क्लेम का कोई औचित्य नहीं है। केवल मात्र रंजिशवश काउन्ट क्लेम पेश किया है जो रेकार्ड और तथ्यों से साबित नहीं है। ऐसी स्थिति में अपने पूर्व कथन से पाबन्द होने के कारण काउन्टर क्लेम स्वीकार नहीं है। अतः काउन्टर क्लेम का आक्षेप निरस्त किया जाता है। जहां तक कब्जे काश्त का प्रश्न है, अपीलांट का कब्जा नहीं होकर रेस्पो0 का कब्जा स्पष्ट दिखाई देता है, जैसाकि गवाहों के बयानों से जाहिर होता है। मुख्यतः आदेश का आधार राजस्व कैम्प में प्रस्तुत अनुबंध पत्र को बनाया गया है ऐसी स्थिति में किसी प्रकार की विधि और तथ्य की भूल दिखाई नहीं देती है। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया जिसमें यह कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन के बिना साक्ष्य में ग्रहण नहीं किया जा सकता है लेकिन उक्त पारिवारिक समझौते पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं। अनुबंध पत्र उपखण्ड अधिकारी द्वारा सत्यापित है और उसके समक्ष शपथपत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन है।

उपरोक्त दिवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तनकीवार है। प्लीडिंग के बाहर निर्णय नहीं दिया गया है। तनकी सं0 4 काउन्टर क्लेम के आधार पर बनाई गई है। काउन्टर क्लेम को भी निरस्त किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी के समक्ष कैम्प में प्रस्तुत अनुबंध पत्र व शपथ पत्रों तथा पारिवारिक समझौते में सभी सह खातेदारों के हस्ताक्षर हैं। अतः अपने-अपने कथनों से पाबंद हैं। रेस्पों के हक में विवादित आराजी ख0 नं0 453/1 रकबा 0.53 है0 हिस्से में आई है जिस पर काबिज होकर काश्तकार है। अपीलांट ने अपनी अपील के साबित करने का कोई तथ्य नहीं बताया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें किसी प्रकार विधि और तथ्य की भूल नहीं की है।

अपील डिक्री/टीए/2884/2004/झुंझुनू
बालाराम बनाम गिनाराम

11- अपील के आधारों के संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अनुबंध पत्र प्रदर्श-2 है। यह अनुबंध पत्र उपखण्ड अधिकारी, झुंझुनू के समक्ष पेश किया गया है जिसमें सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर तथा विधिवत् विभाजन किया गया है। यह राजस्व अभियान के कैम्प में बंटवारा किया है। पत्रावली में उपलब्ध पारिवारिक समझौता जो प्रदर्श-7 है। इसके अनुसार विवादित आराजी ख0 नं0 463/1 रकबा 0-53 है0 की खातेदारी वाके ग्राम कुलोठकलां तहसील चिड़ावा गिनाराम, दरियासिंह, औंकारसिंह, मीरसिंह के नाम आना स्वीकार किया गया है तथा उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा जारी अनुबंध पत्र दिनांक 10-04-1992 के आदेश की पालना में भूमि का विभाजन स्वीकार कर लिया है जो सभी पक्षकारों को स्वीकार है।

जमाबन्दी सम्वत् 2051 से 2054 में वादीगण उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हैं। वादीगण का नाम उक्त आराजी जमाबन्दी के अनुसार तथा उपखण्ड अधिकारी द्वारा अनुबंध पत्र व शपथपत्र के अनुसार खातेदारी साबित है जिसे साक्ष्यों द्वारा प्रमाणित कराया गया है। कैम्प में जारी शपथपत्र तथा बंटवारेनामें पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर हैं। अतः अपनी सहमति से अपीलांट पाबन्द है। जहां तक कब्जे का प्रश्न है, विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा नहीं है क्योंकि साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध नहीं होता है कि विवादित आराजी खसरा नं0 463/1 पर रेस्पो0/वादीगण काबिज है।

काउन्टर क्लैम/प्रतिदावा के संदर्भ में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अंकित किया है कि तनकी सं0 3 व 8 के निर्णय की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तनकी सं0 4 के निर्णय के पश्चात् उनके निर्णय का महत्व गौण है।

तनकी सं0 4 का तनकी सं0 6 व 10 के साथ विस्तृत विवेचन किया गया है। दिनांक 03-03-1992 के शपथपत्र व दिनांक 10-04-1992 के अनुबंध से स्वयं बालाराम (प्रतिवादी सं0 1) एवं उसके पुत्र (प्रतिवादी सं0 2 ल0 5) इंकार नहीं कर सकते जिससे प्रतिवादीगण का प्रतिदावा स्वीकार योग्य नहीं है।

जहां तक अपीलार्थी का अपील में यह कथन है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा द्वारा राजस्थान टिनेन्सी राजस्व मण्डल

नियमावली के नियम 21 की पालना नहीं की है। पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादीगण द्धारा दावा घोषणा व स्थायी व्यादेश का पेश किया गया न कि विभाजन का। नकल जमाबन्दी ग्राम कुलोठकलां सम्वत् 2051 से 2054 में खसरा नं0 463/1 रकबा 0-52 है0 वादीगण गिनाराम, दरियासिंह, औंकारसिंह, मीरसिंह के नाम खातेदार दर्ज है जिससे अपीलार्थी के उक्त आधार की पुष्टि नहीं होती है।

12- जिससे स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिड़ावा द्वारा तनकीवार विस्तृत विवेचन कर निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत् है।

13- विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा विस्तृत विवेचन कर अपील खारिज की गई है तथा उपखण्ड अधिकारी का निर्णय यथावत् रखा है जो पूर्णतया उचित है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती है जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप करने का विधिक आधार नहीं है।

14- अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

15- पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी) | **(राजेश्वर सिंह)**
सदस्य | **अध्यक्ष**